

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-..... / 08 / 2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 09 वन प्रमंडलों के अन्तर्गत 90 कि०मी० में 84700 पौधे लगाये जाने हेतु पथ तट फार्म योजनान्तर्गत पूरी योजना राशि ₹ 364.56 लाख (तीन करोड़ चौंसठ लाख छप्पन हजार ₹ मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में मात्र ₹ 216.78 लाख (दो करोड़ सोलह लाख अठहत्तर हजार ₹ मात्र) व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 09 वन प्रमंडलों के अन्तर्गत 90 कि०मी० में 84700 पौधे लगाये जाने हेतु पथ तट फार्म योजनान्तर्गत पूरी योजना राशि ₹ 364.56 लाख (तीन करोड़ चौंसठ लाख छप्पन हजार ₹ मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में मात्र ₹ 216.78 लाख (दो करोड़ सोलह लाख अठहत्तर हजार ₹ मात्र) व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृषि रोड मैप में हरियाली मिशन के अन्तर्गत वृक्षों के आवरण में 15% तक वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न पथों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किये जाने के क्रम में यह स्वीकृति दी जा रही है, जिसका क्रियान्वयन परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न कार्य योजनाओं अनुरूप किया जाना है।

2. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, माँग संख्या-19, उप शीर्ष- 01 05-पथ तट फार्म, विपत्र कोड-P2406018000105 के विषय शीर्ष-02 01-मजदूरी, 27 01-लघु कार्य तथा मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-19, उप शीर्ष-01 03-पथ तट फार्म, विपत्र कोड-P2406017890103 के विषय शीर्ष-02 01-मजदूरी के अन्तर्गत उपलब्ध मूल उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

२

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, तिरहुत, बेगूसराय, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, पटना, भागलपुर, बाँका, सहरसा एवं भोजपुर होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-3925 दिनांक-11.07.2016 द्वारा प्राप्त सूचनानुसार संदर्भित योजनान्तर्गत वचनबद्ध राशि का व्यय प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से उपलब्ध उपबंधित राशि से किया जाना है तथा इस योजना का क्रियान्वयन मूल उपबंधित राशि से किया जायेगा।
5. विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक दिनांक-20.07.2016 की कार्यवाही ज्ञापांक-4119 दिनांक-21.07.2016 के प्रस्ताव-02 के रूप में समिति द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा एवं प्रस्ताव में संचिका के पृ०-20/टि० पर दिनांक-28.07.2016 को विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
6. प्रारूप में संचिका के पृष्ठ-21/टि० पर दिनांक-04.08.2016 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
7. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
9. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।
10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।
11. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण-पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

12. कार्य स्थल पर आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन,


ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-35/2012 (खण्ड) 4289 /प०व० पटना-15, दिनांक-08/08/2016

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारियों/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक पथ टट फार्म योजना (बर्षिकालीन) योजनागत सामन्य पर्चा पर किए जाने वाले वृक्षारोपण का विवरण (परिशिष्ट-1)

क्र० सं०	प्रमण्डल का नाम	जिला का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखंड का नाम	स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य				कुल
						हैक्टर (ए.सी.)	लागाये जाने वाले पौधों की संख्या (प्रति हजार है.)	2016-17	2017-18	2018-19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	तिरहुत	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर पश्चिम	साहेबगंज	सोमगढ़ से पूरनछपरा	5.00	8.00	849650	602920	607920	2060490	
2	तिरहुत	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर पश्चिम	साहेबगंज	विशम्भरपुर से खोशीपाकड़	5.00	8.00	849650	602920	607920	2060490	
3	तिरहुत	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर पूर्वी	सकरा	एन.एच.28 मुसहरी से सुजावलपुर	3.00	5.00	815070	376825	381825	1573720	
योग:-												
1	बेगूसराय	बेगूसराय	खगड़िया	खगड़िया	परमानंदपुर काला से संसारपुर	2.00	10.00	1338332	753650	758650	2850632	
2	बेगूसराय	बेगूसराय	बेगूसराय	बेगूसराय	बसही से साँगी	4.00	2.00	1939048	150730	155730	2245508	
योग:-												
1	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	रुन्नी सैदपुर	रुन्नी सैदपुर	एन.एच.-77 प्रेमनगर-मुम्बा	5.00	5.00	821250	376825	381825	1579900	
2	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	रुन्नी सैदपुर	रुन्नी सैदपुर	एन.एच.-77 मुम्बा से सैदपुर	5.00	5.00	821250	376825	381825	1579900	
योग:-												
1	औरंगाबाद	औरंगाबाद	अरवल	कुर्था	मानिकपुर से खटौंगी पथ	10.00	15.00	1416840	1130475	1135475	3682790	
2	औरंगाबाद	औरंगाबाद	महाराजगंज	नदीनगर	माली चौक से नदीनगर	10.00	7.50	728870	565238	570238	1864345	
योग:-												
1	पटना	पटना	बाढ़	बाढ़	जैकाल बाबा मंदिर से अकबरपुर रेलवे लाईन ब्लॉक	4.00	12.00	1258660	904380	909380	3072420	
1	भागलपुर	भागलपुर	भागलपुर	असारगंज	सुल्तानगंज से आसारगंज (कमरौंथ से काँवरिया पथ)	7.00	1.00	2742974	75365	80365	2898704	
2	भागलपुर	भागलपुर	भागलपुर	कहलागँव	सत्कार चौक से महेशमुंडा भया जमुनिया टोला	8.00	2.00	2143408	150730	155730	2449868	
योग:-												
1	सहरसा	सहरसा	सहरसा	कहरा	सहरसा शहर के विभिन्न पर्चा पर	8.00	0.50	513892	37683	42683	594257	
2	सहरसा	सहरसा	सहरसा	महिषी	बदुआ घाट से गोहरी घाट तक	6.00	2.00	1945228	150730	155730	2251688	
योग:-												
						14.00	2.50	2459120	188413	198413	2845945	

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	प्रखंड का नाम	स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य				कुल
					7	8	2016-17	2017-18	2018-19	12	
1	3	4	5	6	4.00	1.00	2733704	75365	80365	2889434	
1	बांका	कटोरिया	बांका	जिलेबिया से कटोरिया पथ (कॉवरिया पथ)	4.00	1.00	2733704	75365	80365	2889434	
योग:-					4.00	0.70	760401	52756	57756	870912	
नोट:- 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत की राशि की बढ़ोतरी कर प्राक्कलन तैयार किया गया है। राशि की बढ़ोतरी सम्भावित					4.00	0.70	760401	52756	57756	870912	
प्रत्येक योजना पर संबंधित वन संरक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसे इस कार्यालय में रखा गया है तथा योजना का विश्लेषण कर संकलित किया गया है। जिसपर अद्योक्तद्वारा द्वारा तकनीकी स्वीकृति दी गयी है।					90.00	84.70	21678227	6383416	6463416	34525058	
सकल योग:-					90.00	84.70	21678227	7021757	7756099	36456082	
कुल योग:-					90.00	84.70	21678227	7021757	7756099	36456082	

Technical Sanction accorded for Rs. 364.56 lakh only.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकोस),
बिहार, पटना।

उप सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकोस),
बिहार, पटना।

L.no	कार्य	कार्य का नाम	कार्य का प्रकार	प्रथम चरण (वर्षाकालीन) वृक्षारोपण वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक (206/- प्रति मानव दिवस) (पूर्व सम्भलित योजना के अतिरिक्त)																
				प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का प्रकार	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का प्रकार	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का प्रकार	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का प्रकार	प्रस्तावित क्षेत्र का नाम	प्रस्तावित क्षेत्र का प्रकार							
3.1	आरबी सफाई कार्य	प्रति कि.मी. 3090.00	5	15450	5	15450	3	9270	2	6180	4	12360	5	15450	5	15450	10	30900	10	30900
3.2	आरबी सफाई कार्य	प्रति कि.मी. 4944.00	5	24720	5	24720	0	0	3	14832	2	9888	0	0	0	0	10	49440	5	24720
3.3	आरबी सफाई कार्य	प्रति कि.मी. 16377.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	आरबी सफाई कार्य	प्रति कि.मी. 72.10	3000	284280	3000	284280	5000	473800	7000	663320	0	0	5000	473800	5000	473800	5000	360500	2500	180250
3.4.1	आकार 1.8 मी. X 0.60 मी. X 0.80 मी. कड़ी मुदा	प्रति रकम 94.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	आकार 2.1 मी. X 0.75 मी. X 0.8 मी. सामान्य मुदा	प्रति रकम 183.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	आकार 2.8 मी. X 1.0 मी. X 0.6 मी. सामान्य मुदा	प्रति रकम 43152	8	43152	8	43152	5	26970	10	53940	2	10788	5	26970	5	26970	15	80910	8	40455
3.4.4	आकार 1.8 मी. X 0.60 मी. X 0.80 मी. कड़ी मुदा	प्रति रकम 1800.00	8	14400	8	14400	5	9000	10	18000	2	3600	5	9000	5	9000	15	27000	8	13500
3.4.5	आकार 2.8 मी. X 1.0 मी. X 0.6 मी. सामान्य मुदा	प्रति रकम 889.00	8	889.00	8	889.00	2	1778.00	2	1778.00	2	1778.00	2	1778.00	2	1778.00	15	27000	8	13500
3.5	वृक्षारोपण कार्य (10 प्रारंभिक वृक्षारोपण प्रति क्षेत्र एवं वृक्षारोपण कार्य)	प्रति 1000 वर्ग मी. 5394.00	8	43152	8	43152	5	26970	10	53940	2	10788	5	26970	5	26970	15	80910	8	40455
3.5.1	क्षेत्रों की सुवर्ण	प्रति 1000 वर्ग मी. 1800.00	8	14400	8	14400	5	9000	10	18000	2	3600	5	9000	5	9000	15	27000	8	13500
11.1	वृक्षारोपण कार्य (एलएन विस्तार)	प्रति कि.मी. 985.00	8	889.00	8	889.00	2	1778.00	2	1778.00	2	1778.00	2	1778.00	2	1778.00	15	27000	8	13500
16.2 & 16.3	वृक्षारोपण कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	प्रति कि.मी. 2642.00	8	889.00	8	889.00	2	1778.00	2	1778.00	2	1778.00	2	1778.00	2	1778.00	15	27000	8	13500
3.6.1	वृक्षारोपण कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	प्रति 1000 वर्ग मी. 57206.00	8	457648	8	457648	5	286030	10	572060	2	114412	5	286030	5	286030	15	858090	8	429045
3.9.1	वृक्षारोपण कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	प्रति 1000 वर्ग मी. 10000.00	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000
3.10	वृक्षारोपण कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	प्रति रकम 849650	8	849650	8	849650	5	815070	10	1338332	2	1939048	5	821250	5	821250	15	1416840	8	728872
3.7	वृक्षारोपण कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	प्रति 1000 वर्ग मी. 75365.00	8	602920	8	602920	5	376825	10	753650	2	150730	5	376825	5	376825	15	1130475	8	565238
3.9.2	वृक्षारोपण कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	प्रति 1000 वर्ग मी. 0.00	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
3.8.2	वृक्षारोपण कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	प्रति 1000 वर्ग मी. 75365.00	8	602920	8	602920	5	376825	10	753650	2	150730	5	376825	5	376825	15	1130475	8	565238
3.9.3	वृक्षारोपण कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	प्रति 1000 वर्ग मी. 5000.00	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000
	वृक्षारोपण कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	प्रति 1000 वर्ग मी. 2060490	8	602920	8	602920	5	376825	10	753650	2	150730	5	376825	5	376825	15	1130475	8	565238
	वृक्षारोपण कार्य (वृक्षारोपण कार्य)	प्रति 1000 वर्ग मी. 2060490	8	602920	8	602920	5	376825	10	753650	2	150730	5	376825	5	376825	15	1130475	8	565238

पथ तट (बर्षाकालीन) वृक्षारोपण वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक (208/- प्रति मानव विक्स) (पूर्व सम्मिलित योजना के अतिरिक्त)

I. no	कार्य	इकाई	इकाई दर	पटना		भागलपुर				सहरसा				बांका		मोजपुर	
				नॉ.	रि.	नॉ.	रि.	नॉ.	रि.	नॉ.	रि.	नॉ.	रि.	नॉ.	रि.	नॉ.	रि.
	अग्रिम एवं समापन																
	झाड़ी सफाई कार्य		प्रति कि.मी.	4	12360	7	21630	8	24720	8	24720	6	18540	4	12360		
3.1	पटा कार्य- पीट का आकार-0.30'x0.30'x0.30'मी. पीट का ALIGNMENT, निश्चित आकार 1 पीट की चौड़ाई	प्रति 1000 गवदा	3090.00														
3.2.1	(क) सामान्य मृदा	प्रति 1000 गवदा	4944.00	8	37080	1	4944	2	9888	1	2472	2	9888	1	4944		3461
3.3	पटा कार्य- पीट का आकार-1.25'x1.04'मी. X 0.45'मी- पीट का ALIGNMENT, निश्चित आकार 1 पीट की चौड़ाई	प्रति 1000 गवदा	16377.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	(क) सामान्य मृदा																
3.4	सम्पातित जल-जमाव वाले क्षेत्रों में स्थानीय मृदा के प्रयोग से वृक्षारोपण हेतु खुपों का निर्माण एवं ड्रिपिंग आकार 1.0 मी. X 0.80 मी. X 0.8 मी.	प्रति रूप	72.10														
3.4.2	आकार 1.0 मी. X 0.60 मी. X 0.60 मी. कड़ी मृदा	प्रति रूप	94.76	4500	426420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	आकार 2.1 मी. X 0.75 मी. X 0.6 मी. सामान्य मृदा	प्रति रूप	183.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.5	आकार 2.6 मी. X 1.0 मी. X 0.6 मी. सामान्य मृदा	प्रति 1000 गवदा	5394.00	12	64728	1	5394	2	10788	1	2697	2	10788	1	5394	1	3776
3.5	पौधा रोपण कार्य (10 ग्राम पौधा/पीट प्रति चौड़ी एवं कीटनाशक के साथ)- अस्थायी पौधाशाला से पौधों की बुलाई एवं पौधारोपण कार्य।																
3.5.1	पौधों की बुलाई	प्रति 1000 गवदा	1800.00	12	21600	1	1800	2	3600	1	900	2	3600	1	1800		1260
11.1	बांस रोपण की किमत पेटिंग संकेत, परिवहन एवं स्थापित करना (उत्तर बिहार)	प्रति रोपण	889.00							0.5	444500	2	1778000				
16.2 & 16.3	बांस रोपण की किमत पेटिंग संकेत, परिवहन एवं स्थापित करना (दक्षिण बिहार)	प्रति रोपण	985.00														
16.2 & 16.3	लौह रोपण की किमत पेटिंग बुलाई एवं स्थापित करना सहित	प्रति रोपण	2642.00														
3.6.1	पुस्का(बुलाई से माच), कोइली-सिकोनी(कम से कम तीन बार उर्वरक/कीटनाशक) मृत पौधों का: बुलाई एवं पटपन	प्रति 1000 गवदा	57206.00	12	686472	1	57206	2	114412	1	28603	2	114412	1	57206	1	40044
3.9.1	विक्षि कार्य साईन बोर्ड 4'x3', प्रयाकम इत्यादि समापन वर्ष	प्रति बुरोपण	10000.00	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000	1	10000
3.10	संरक्षण, रेखांकन, एवं यूटिलिटी का निर्माण	प्रति हजार	1258660														
3.7	वृक्षारोपण प्रथम वर्ष संरोपण कार्य																
3.9.2	पुस्का(अप्रिल से मार्च), कोइली-सिकोनी(कम से कम तीन बार उर्वरक/कीटनाशक) मृत पौधों का: बुलाई एवं पटपन	प्रति 1000 गवदा	73365.00	12	904380	1	73365	2	150730	1	37683	2	150730	1	73365	1	52756
3.9.2	विक्षि कार्य साईन बोर्ड 4'x3', प्रयाकम इत्यादि प्रथम संरोपण वर्ष	प्रति 1000 गवदा	0.00	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
	वृक्षारोपण द्वितीय वर्ष संरोपण कार्य																
3.8.2	पुस्का द्वितीय वर्ष (अप्रिल से नवंबर)	प्रति 1000 गवदा	73365.00	12	904380	1	73365	2	150730	1	37683	2	150730	1	73365	1	52756
3.9.3	विक्षि कार्य साईन बोर्ड 4'x3', प्रयाकम इत्यादि प्रथम संरोपण वर्ष	प्रति 1000 गवदा	5000.00	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000	1	5000
	योग (2016-17)																
	योग (2017-18)																
	योग (2018-19)																
	कुल योग				3072420		2898704		2449868		594257		2251688		2889434		870912

उप 81/16
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना

प्रधान मुख्य अधिकारी (पर्यावरण)